भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2436

जिसका उत्तर 05.03.2020 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को नकदीरहित इलाज की सुविधा

2436. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकदीरहित इलाज प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई है या किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की क्या विशेषताएं हैं तथा इसके अंतर्गत कितने क्षेत्रों को कवर किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के आरंभ से अब तक कितने पीड़ितों को नकदीरहित इलाज की सुविधा दी गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों पर तीन पायलट परियोजना आरंभ की थी :-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या-8 का गुड़गांव-जयपुर खंड (जुलाई 2013 से मई 2016 तक कार्यान्वित)

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या-8 का वडोदरा-मुंबई खंड (सितंबर 2014 से मार्च 2016 के दौरान कार्यान्वित)

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या-8 का रांची-ररगाँव-महुलिया खंड (सितंबर 2014 से मार्च 2016 के दौरान कार्यान्वित)

पायलट परियोजना की परिकल्पना दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना क्षेत्र से अस्पताल तक ले जाने के लिए और जहां कहीं आवश्यक हो, पहले 48 घंटों में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चाहे वो सार्वजनिक या निजी अस्पताल, के लिए की गयी या 30,000 रुपये, जिससे "स्वर्णिम घंटे" के दौरान शीघ्र और उचित चिकित्सा सहायता द्वारा दुर्घटना पीड़ित को बचाया जा सके। पायलट परियोजनाओं के दौरान, 13888 पीड़ितों को नकदी रहित उपचार प्रदान किया गया।

*****